ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत दुलाहर में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती वंदना कुमारी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री सुभाष कुमार	01-04-2022 से 02-06-2022
2.	श्री ओम् प्रकाश	02-06-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई

गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा संख्या**	**राशि (₹ लाखों में)**
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	₹45.92
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	₹0.15
03.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.1	₹63.36
04.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.2	₹3.26
05.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.3	₹48.62
06.	ग्राम पंचायत द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना।	9.4	₹48.62
07.	ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का संधारण न करने बारे ।	10.3	---------

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26-11-2024 से 03-12-2024 तक ग्राम पंचायत दुलाहर के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए

निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	03/2023	05/2022
2.	2023-2024	06/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 03-12-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत दुलाहर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान: ग्राम पंचायत दुलाहर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व-स्त्रोत & 5th SFC

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	797719.58	571929.00	1369648.58	396970.00	972678.58
2023-24	972678.58	487000.00	1459678.58	545121.00	914557.58

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
20222023	**836852.30**	**16138090.77**	**16974943.07**	**16089134.77**	**885808.30**
20232024	**885808.30**	**23145632.38**	**24031440.68**	**22819412.38**	**1212028.30**

कुल योग (1+2) **₹914557.58 + ₹1212028.30 = ₹2126585.88**

(ब) ग्राम पंचायत दुलाहर का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15TH FC	99051100000152	HPGB PUKHRI	**830879.00**
2.	SDP/DCP	99050100000486	HPGB PUKHRI	**470955.00**
3.	IAY	99058100063242	HPGB PUKHRI	**4320.00**
4.	RAY /AAY	99058100063241	HPGB PUKHRI	**6659.30**
5.	SBM	99051100000233	HPGB PUKHRI	**0.00**
6.	VKVNY	99050100000501	HPGB PUKHRI	**13038.00**
7.	Own Source & 5th SFC	17910107002	HPSCB CHAMBA	**913982.58**
			CASH IN HAND	**665.00**
			TOTAL	**₹ 2240498.88**

अन्तर (ब-अ) ₹2240498.88 - ₹2126585.88 = ₹ 113913.00

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.14 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत दुलाहर द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के

अन्तशेष में राशि ₹113913 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹12.12 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1212028.30 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.64 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय

पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत दुलाहर के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹63975 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	**गत शेष**	**कुल परिवार**	**दर**	**वर्ष के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**कुल प्राप्त राशि (₹)**	**बकाया राशि (₹)**
2022-23	106025	480	50	24000	130025	66850	63175
2023-24	63175	482	50	24100	87275	21300	65975

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति /गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को

सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹2700/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With Late Fee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-23	06	2@200	0	400	3@25	1@50	125	525
2023-24	15	1@200	4@400	1800	5@25	5@50	375	2175
कुल योग	**21**	**03@200**	**04@400**	**2200**	**08@25**	**06@50**	**500**	**2700**

(ख) पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार अपेक्षित विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिससे कि पंचायत को राशि ₹250 की वित्तीय हानि हुई।

Sr	Regd Sr.no	Name & Sr.No as per Register	Date of Marriage	Date of Registration	Fees should be realised	Fees Charged	Less relisation
1.	34	Chandan Kumar	07/12/2022	20/12/2022	200	0	200
2	43	Lalit Kumar	23/06/2023	26/07/2023	50	0	50
				Total	**250**	**0**	**250**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है तथा विलम्ब शुल्क के वसूली नहीं गई राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹2950 की वसूली उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.15 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि,

समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है।

ग्राम पंचायत दुलाहर के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा छः दुकानें है जोकि किराये पर दी आबंटित की गई है। दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था, तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹15000/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
2021-22	27950	06	50	3600	31550	14500	17050
2022-23	17050	06	50	3600	20650	5650	15000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 पंचायत द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढंग से व अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है। इसके अत्तिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि

भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत के पास कुल छः दुकानें हैं जोकि छः किरायेदारों को आबंटित की गई थी परन्तु इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

(क) दुकानों को उक्त नियमानुसार किराये पर देने से पूर्व सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है जिसकी अनुपालना पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) नियमानुसार व्यवसायिक परिसरों/भवनों दुकानों इत्यादि का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो तथा किराये में वृद्धि का प्रावधान किराया नियंत्रण अधिनियम 1987 के अनुरूप होना जरुरी है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

(ग) दुकानों के किरायेदारों के साथ कोई भी अनुबंध नहीं किया गया है जोकि उचित नहीं है।

(घ) उक्त दुकानों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया जा गया है जिसके अभाव में उक्त सम्पत्ति से पंचायत को प्राप्त कुल वास्तविक आय- व्यय इत्यादि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 03-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है एवं भविष्य में किसी वैधानिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹45.92 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गई थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत दुलाहर के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹4591989 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णतः अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना

को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.15 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) एवं GST एक्ट 2017 की धारा 51 (a) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत दुलाहर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹753571/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹15071/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

Sr. No.	Vr.No/ Date	Grant / Head	Detail of Supplier	Service Detail	Amount	TDS@ 2%	Applicable act & Sec.
1	01-07 / 06-08-22	VKV NY	M/S Sharma Constructions PO Masroond ,Chamba	Hiring Charges of JCB	288600	5772.00	Income Tax Act 1961 Section 194 I
2	8-11/ 23-09-22	VKV NY	M/S Sharma Constructions PO Masroond ,Chamba	Hiring Charges of JCB	163471	3269.42	
3	Nil/ 19-05-22	MGN REGA	Smt. Indu Village Halunda PO Sandhi, Chamba	Interlock Carrige	31500	630.00	IT Act 1961 Section 194 C
4	Nil/ 25-05-22	MGN REGA	M/S Sanjhi Ram & Sons PO Parel, Chamba	Jhula, Slide, Sea Saw & Bench	270000	5400.00	GST Act 2017Section 51 a
				TOTAL	**753571**	**15071.42**	

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस. के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई

परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये ।

8.3 ग्राम पंचायत स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी ।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास पड़े हैं । अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए तथा तकनीकी सहायक के कार्य पूर्ण न होने के कारण अभी MB में अभिलिखित नहीं किया गया है । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है । अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित

ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹63.36 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹6335700 (34.47%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उद्देश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2022-23	136.17	70.25	51.59%	65.93	48.41%
2.	2023-24	206.82	70.19	33.94%	136.63	66.06%
	सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**6335700**	**+34.47%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा के अंतर्गत करवाये गए कार्यों में सामग्री का अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री पर अधिक व्यय किया गया अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹3.26 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि ₹326040/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय से संबंधित वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Detail of Supplier	Amount	Remarks
1.MNREGA	Nil/ 25-05-22	Anarkali Bench, Sea Saw, Slide & Jhula	M/S Sanjhi Ram & Sons VPO Parel, Chamba	270000	**Tender/ Quotations**
2.MNREGA	Nil/ 25-05-22	Door,window,Gate	M/S Sanjhi Ram & Sons VPO Parel, Chamba	26000	**Quotations**
3.MNREGA	Nil/ 25-05-22	Paint, putty etc.	M/S Sanjhi Ram & Sons VPO Parel, Chamba	30040	**Quotations**
			Total	**326040**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 30-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त आपूर्तिकर्ता का चयन ब्लाक स्तर पर किया गया है इसलिये पंचायत में इसका कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजक नहीं है।

अत: उक्त स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु विहित औपचारिकताओं के अभिलेखों को ब्लाक स्तर से शीघ्र प्राप्त किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹48.62 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत दुलाहर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि **₹**4861988 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल कैश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर कैश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 राशि ₹48.62 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर व बिल रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 48 के अनुसार बिल रजिस्टर का संधारण तथा नियम 69 के अनुसार क्रय स्टोर/स्टॉक का यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप,तोल करने उपरान्त उसे तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹4861989 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार इन्द्राज नहीं किया गया था आगे अवलोकन में यह पाया गया कि, पंचायत द्वारा बिल रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण रजिस्टर व बिल रजिस्टर का शीघ्र ही संधारण कर लिया जायेगा। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक व बिल रजिस्टर न होने के अभाव में सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.5 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं। अतः उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹16964132.61 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्य प्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 30-11-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों के रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दुलाहर के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल अन्य समस्त अनुदानों की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष

राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत दुलाहर के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-11-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 26-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टरअभिलेख/	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	अपूर्ण
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक सामाग्री रजिस्टर/	06 व 01	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदनों रजिस्टर/	30	89	संधारित नहीं
13.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुछ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। चूँकि गत अंकेक्षण में भी इस बारे आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी इसकी पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामले में

नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों 3rd/5th स्टेट के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दुलाहर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 30-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की

सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। जिससे न केवल नियमों की अवहेलना की गई है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

23.1.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

678-682

23 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 171/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JAN 2025

23.01.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Dulahar for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source & 5th SFC

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	797719.58	571929.00	1369648.58	396970.00	972678.58
2023-24	972678.58	487000.00	1459678.58	545121.00	914557.58

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	836852.30	16138090.77	16974943.07	16089134.77	885808.30
2023-24	885808.30	23145632.38	24031440.68	22819412.38	1212028.30
					2126585.88

It is certified that GP Dulahar has eight cash books out of which 15th FC Online, SF & 5th SFC General, SDP,VKVNY,IAY, AAY/RAY,SBM Offline Cash Books Were Produced and MGREGA cash book was not produced during audit

1+2 (914557.58+1212028.30) Closing Balance as per Cash Books		2126585.88
Closing Balance as per Bank Passbook		2240498.88
Difference	(Less in Cash books)	-113913.00

Bkumari
सचिव
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Dulahar for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	14209240.77	14209240.77	14209240.77	0.00
		2023-24	0.00	21856451.38	21856451.38	21856451.38	0.00
2	15TH FC	2022-23	760523.00	814151.00	1574674.00	729720.00	844954.00
		2023-24	844954.00	337613.00	1182567.00	465511.00	717056.00
3	IAY	2022-23	4090.00	114.00	4204.00	0.00	4204.00
		2023-24	4204.00	116.00	4320.00	0.00	4320.00
4	AAY/RAY	2022-23	6302.30	177.00	6479.30	0.00	6479.30
		2023-24	6479.30	180.00	6659.30	0.00	6659.30
5	SBM	2022-23	37721.00	407182.00	444903.00	444903.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	DCP/SDP	2022-23	19831.00	556.00	20387.00	0.00	20387.00
		2023-24	20387.00	450568.00	470955.00	0.00	470955.00
7	VKVNY	2022-23	8385.00	706670.00	715055.00	705271.00	9784.00
		2023-24	9784.00	500704.00	510488.00	497450.00	13038.00
		2022-23	836852.30	16138090.77	16974943.07	16089134.77	885808.30
		2023-24	885808.30	23145632.38	24031440.68	22819412.38	1212028.30

परिशिष्ट "उ" पैरा संख्या 7.3 में सन्दर्भित

3. दुकानों के किराया वसूली हेतु लंबित राशि 31-03-2024

क्र० स	वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
1.	2022-23	27950	6	50	3600	31550	14500	17050
2.	2023-24	17050	6	50	3600	20650	5650	15000

वित्त वर्ष 2022-23

क्र०सं०	किरायेदार का नाम	आबंटित दुकानों की संख्या	गतबकाया	मासिक किराया	वार्षिक किराया	कुलवसूली योग्यराशि	कुल प्राप्त राशि	बकाया
1	सोनुs/oहोशियारा	1	6850	50	600	7450	0	7450
2	किशनीw/o प्यारो	1	850	50	600	1450	1200	250
3	चमन सिंहs/o चतरो	1	6850	50	600	7450	6350	1100
4	रमेश s/o परसराम	1	5050	50	600	5650	0	5650
5	बलदेव s/o ख्यालिया	1	6850	50	600	7450	6350	1100
6	रसालू s/o लक्षमण	1	1500	50	600	2100	600	1500
		कुल योग	27950		3600	31550	14500	17050

Bkumari
प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड

25

सचिव
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड

परिशिष्ट "3" पैरा संख्या 7.3 में सन्दर्भित

	वित्त वर्ष 2023-24							
क्र०सं०	किरायेदारकानाम	आबंटित दुकानों की संख्या	गत बकाया	मासिक किराया	वार्षिक किराया	कुलबसूली योग्य राशि	कुल प्राप्त राशि	बकाया
1	सोनुs/oहोशियारा	1	7450	50	600	8050	0	8050
2	किशनीw/o प्यारो	1	250	50	600	850	600	250
3	चमनसिंहs/o चतरो	1	1100	50	600	1700	0	1700
4	रमेशs/o परसराम	1	5650	50	600	6250	4450	1800
5	बलदेवs/o ख्यालिया	1	1100	50	600	1700	0	1700
6	रसालूs/o लक्षमण	1	1500	50	600	2100	600	1500
		कुलयोग	17050		3600	20650	5650	15000

प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाड़ा
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा

Bkumari
सचिव
ग्राम पंचायत दुलाड़ा
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP DULAHAR TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Kuldeep Singh	SBM	03 & 04/	Sand	2.69	4.30	7125.00
	PO Sandhi, Chamba		06-05-2022	Aggre.	5.67	11.00	15000.00
2	M/S V.R. Traders	15th FC	26,27 & 28/	Sand	5.37	8.59	13300.00
	VPO Sandhi, Chamba		02-05-2022	Aggre.	5.09	9.87	13500.00
3	M/S Kuldeep Singh	15th FC	30/	Stone	10.00	22.40	18000.00
	PO Sandhi, Chamba		02-05-2022			0.00	
4	M/S V.R. Traders	15th FC	31/	Stone	10.00	22.40	17500.00
	VPO Sandhi, Chamba		02-05-2022				
5	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Sand	52.97	84.75	140325.00
	PO Sandhi, Chamba		19-05-2022	Stone	365.75	819.28	455200.00
				Aggre.	38.42	74.53	82060.50
6	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	1742.61	3903.45	1836363.78
	PO Sandhi, Chamba		25-05-2022	Sand	29.44	47.10	78000.00
				Aggre.	4.44	8.61	11775.00
7	M/S V.R. Traders	MGREGA	NIL/	Aggre.	94.44	183.21	108500.00
	VPO Sandhi, Chamba		25-05-2022	Stone	114.36	256.17	162100.00
				Sand	59.03	94.45	56000.00
8	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	249.62	559.16	436900.00
	PO Sandhi, Chamba		20-06-2023				
9	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Sand	17.47	27.95	46286.00
	PO Sandhi, Chamba		20-06-2023	Aggre.	26.79	51.97	70965.25
				Stone	149.86	335.69	257425.00
10	M/S V.R. Traders	MGREGA	NIL/	Sand	146.92	235.07	363174.00
	VPO Sandhi, Chamba		21-06-2023	Aggre.	119.16	231.17	246659.00
11	M/S Man Singh	MGREGA	NIL/	Sand	56.76	90.82	140290.00
	PO Jhulara, Chamba		20-06-2023	Aggre.	5.86	9.376	15540.00
				TOTAL	3312.72	7091.33	4591988.53

Kumari

ग्राम पंचायत दुलाहर

Refferedin Para no 9.3

Annexure "5" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Dulahar Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Kuldeep Singh	SBM	03 & 04/	Sand	7125.00	**Performa Bill**
	PO Sandhi, Chamba		06-05-2022	Aggre.	15000.00	**do**
2	M/S Sanjhi Ram & Sons	MGREGA	NIL/	Anarkali Bench	215000.00	**do**
	VPO Parel, Chamba		25-05-2022	Jhula, Slide, Sea Saw	55000.00	**do**
3	M/S V.R. Traders	15th FC	26,27 & 28/	Sand	13300.00	**do**
	VPO Sandhi, Chamba		02-05-2022	Aggre.	13500.00	**do**
4	M/S Kuldeep Singh	15th FC	30/	Stone	18000.00	**do**
	PO Sandhi, Chamba		02-05-2022			**do**
5	M/S V.R. Traders	15th FC	31/	Stone	17500.00	**do**
	VPO Sandhi, Chamba		02-05-2022			**do**
6	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Sand	140325.00	**do**
	PO Sandhi, Chamba		19-05-2022	Stone	455200.00	**do**
				Aggre.	82060.50	**do**
7	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	1836363.78	**do**
	PO Sandhi, Chamba		25-05-2022	Sand	78000.00	**do**
				Aggre.	11775.00	**do**
8	M/S V.R. Traders	MGREGA	NIL/	Aggre.	108500.00	**do**
	VPO Sandhi, Chamba		25-05-2022	Stone	162100.00	**do**
				Sand	56000.00	**do**
9	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	436900.00	**do**
	PO Sandhi, Chamba		20-06-2023			**do**
10	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Sand	46286.00	**do**
	PO Sandhi, Chamba		20-06-2023	Aggre.	70965.25	**do**
				Stone	257425.00	**do**
11	M/S V.R. Traders	MGREGA	NIL/	Sand	363174.00	**do**
	VPO Sandhi, Chamba		21-06-2023	Aggre.	246659.00	**do**
12	M/S Man Singh	MGREGA	NIL/	Sand	140290.00	**do**
	PO Jhulara, Chamba		20-06-2023	Aggre.	15540.00	**do**
				TOTAL	**4861988.53**	

Bkumari

प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

सचिव
ग्राम पंचायत दुलाहर

Annexure "6" Reffered in Para No.5.4 ~~& Jonit Sign &~~ Stock Entry not Recorded In ../O GP Dulahar

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S Kuldeep Singh	SBM	03 & 04/	Sand	7125.00
	PO Sandhi, Chamba		06-05-2022	Aggre.	15000.00
2	M/S Sanjhi Ram & Sons	MGREGA	NIL/	Anarkali Bench	215000.00
	VPO Parel, Chamba		25-05-2022	Jhula, Slide, Sea Saw	55000.00
3	M/S V.R. Traders	15th FC	26,27 & 28/	Sand	13300.00
	VPO Sandhi, Chamba		02-05-2022	Aggre.	13500.00
4	M/S Kuldeep Singh	15th FC	30/	Stone	18000.00
	PO Sandhi, Chamba		02-05-2022		
5	M/S V.R. Traders	15th FC	31/	Stone	17500.00
	VPO Sandhi, Chamba		02-05-2022		
6	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Sand	140325.00
	PO Sandhi, Chamba		19-05-2022	Stone	455200.00
				Aggre.	82060.50
7	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	1836363.78
	PO Sandhi, Chamba		25-05-2022	Sand	78000.00
				Aggre.	11775.00
8	M/S V.R. Traders	MGREGA	NIL/	Aggre.	108500.00
	VPO Sandhi, Chamba		25-05-2022	Stone	162100.00
				Sand	56000.00
9	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL/	Stone	436900.00
	PO Sandhi, Chamba		20-06-2023		
10	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Sand	46286.00
	PO Sandhi, Chamba		20-06-2023	Aggre.	70965.25
				Stone	257425.00
11	M/S V.R. Traders	MGREGA	NIL/	Sand	363174.00
	VPO Sandhi, Chamba		21-06-2023	Aggre.	246659.00
12	M/S Man Singh	MGREGA	NIL/	Sand	140290.00
	PO Jhulara, Chamba		20-06-2023	Aggre.	15540.00
				TOTAL	**4861988.53**

Bkumari
प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड ...

ग्राम पंचायत दुलाहर

29

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 83 में संदर्भित

MGNREGA विकास कार्यों की सूची ग्राम पंचायत दुलाड़ा विकास खण्ड: चम्बा जिला चम्बा

क्र मां	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राकलन राशि	मूल्याकन राशि	एम0बी0नम्बर व पेज नम्बर	विवरण
1)	C/o Drain Bretka-II	2,00,000.00	2,00,000.00		2,00,000.00			Running
2)	C/o Drain Kohali	2,23,000.00	2,23,000.00		2,23,000.00			Running
3)	C/o chat tank Nihalu Amrei.	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
4)	C/o Chat Jal tank Dalip Singh Chindauad.	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
5)	C/o Irrigation tank with Pipe Line Kashota Kuldeep Singh	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
6)	C/o Irrigation tank with pipe line Sanjay Kanduien.	1,00,000.00	1,00,000.00		~~[illegible]~~ 1,00,000.00			Running
7)	C/o Irrigation tank Karam Singh Lotuien.	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
8)	C/o Irrigation tank Utmesh Kut	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
9)	C/o Chat Jal tank Nathu Ram. Shammi	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
10)	C/o chat Jal tank Bhgat Singh Jeri	1,00,000.00	1,00,000.00		1,00,000.00			Running
11)	C/o Water Storage tank Sumuien.	2,00,000.00	2,00,000.00		2,00,000.00			Running
				Total	= 14,2300.00			

Technical Assistant
G.P. Dulahar
Dev. Block Chamba (H.P.)

B kumari
प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाड़ा
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा

20

MGNREGA विकास कार्यों की सूची ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा जिला चम्बा (HP)

Sr.No	Name of work	Sanc. Amount	Documents
1)	c/o Anganwadi Bhawan Dhanuien.	6,98,000.00	MB Tech.Sanc.Sanc.order Estimate UC, 13C FRA, NOC Etc.
2)	c/o Moksh Dham Chhandeli Nalla	8,00,000.00	
3)	C/o Boundary Wall Salodi, Kohali (P.Y)	5,00,000.00	
4)	C/o Beautification of Park Salodi Kohali (P.Y)	5,00,000.00	
5)	C/o Khel ka maidan Shammi Ist	9,93,000.00	
6)	C/o Shamshan Ghat Tapri Mulag	5,00,000.00	
7)	C/o Prot. work & Plantation Pulla Salodi Ist	~~5,00,000.00~~ 4,90,645.00	
8)	C/o Land Dev. & Plantation Van	4,94,839.00	
9)	C/o Land Dev. & Plantation Dibhri	4,92,539.00	
10)	C/o Prot. work & Plantation Naydeek, Kuldeep, Khem Rajinder, Chanalu Hako Davrootu.	4,98,360.00	
11)	C/o Prot. work Link Road Dhamuie	4,98,166.00	
12)	C/o Prot. Wall Khel ka maidan GMS Halunda	7,17297.00	
13)	C/o Land Slide Control work Shammi	10,00,000.00	
14)	C/o Inspection Path Park Salodi Kohali	5,00,000.00	
15)	C/o Upgradation Link Road Pidh, Kaund, Davrootu	9,47,000.00	
16)	C/o Prot. work Kuila	4,99,000.00	
17)	C/o Land Dev. & Prot. work mulki	4,91085.00	
	Total =	10,619931.00	

Bkumari
प्रधान
ग्राम पंचायत दुलाहर
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

Technical Assistant
G.P. Dulahar
Dev. Block Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित

31